

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-37/25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एस.आर.जी.हाउसिंग लिमिटेड 321, एस.एम. लोढा, काम्पलैक्स, शास्त्री सर्कल के पास, उदयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यशपाल सिंह	फाईनेन्स	<ul style="list-style-type: none">रामकिशोर डूडी पुत्र रामदीन राम ग्राम डूडियों का बास, छपला राजलानी, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुरसीता देवी पत्नि राम किशोर 43, ग्राम डूडियों का बास, छपला राजलानी, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुररामलाल डूडी पुत्र रामदीन डूडी 43, ग्राम डूडियों का बास, छपला राजलानी, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :-30.07.2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण रामकिशोर डूडी पुत्र रामदीन राम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 12,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण 1. रामकिशोर डूडी पुत्र रामदीन डूडी, निम्नलिखित पता पर निवास कर रहे हैं।
1. पट्टा संख्या 41, बुक नम्बर 065, मिसल नम्बर 105, ग्राम डूडियों, तहसील राजलानी, जिला जोधपुर, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।



Signature valid
Digitally signed by Garv Agrawal,
District Magistrate, Jodhpur District.
Date: 2025.07.31 11:50:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16883255

न. 50/5, रकबा 0.15 बिस्वा, ग्राम सोपडा, ग्राम पंचायत हिरादेसर, पंचायत समिति भोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1214.06 वर्ग मीटर 1.जिसके उत्तर में जिपरराम/श्रीराम, दक्षिण में रोड़, पूर्व में भोम सिंह, पश्चिम में निकाल आया हुआ, 2. जिसके उत्तर में मांगीलाल व भवरी की भूमि, दक्षिण में सरेन्डर भूमि, पूर्व में कादिमी रोड़, पश्चिम में बाउण्डी रोड मांगीलाल व भवरी की भूमि आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 28.02.2022 तक 12,42,630/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 12,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 28.02.2022 तक 12,42,630/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति /सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ड्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद 1. रामकिशोर डूडी पुत्र रामदीन जाट 2. रामकिशोर पुत्र रामदीन की जायदाद 1. पट्टा संख्या 41, बुक नम्बर 065, मिसल नम्बर 105, ग्राम पंचायत राजलानी, पंचायत समिति भोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 115.55 वर्ग गज 2. खसरा न. 50/5, रकबा 0.15 बिस्वा, ग्राम सोपडा, ग्राम पंचायत हिरादेसर, पंचायत समिति भोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1214.06 वर्ग मीटर 1.जिसके उत्तर में जिपरराम/श्रीराम, दक्षिण में रोड़, पूर्व में भोम सिंह, पश्चिम में निकाल आया हुआ, 2. जिसके उत्तर में मांगीलाल व भवरी की भूमि, दक्षिण में सरेन्डर भूमि, पूर्व में कादिमी रोड़, पश्चिम में बाउण्डी रोड मांगीलाल व भवरी की भूमि आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।



आज दिनांक 30.07.2025 को सुनाया गया।

Signature valid

Digitally signed by Gajendra Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.07.31 11:50:11 IST
Reason: Approved

राजकी
RajKaj Ref No.:
16883255